

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7<sup>th</sup> June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II / Rupi Bhaba      Dated Shimla-2, the      7<sup>th</sup> June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001 to declare the **Rupi Bhaba as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 503.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to the rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7<sup>th</sup> May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013, passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare an area of 503.00 sq. km of Rupi Bhaba as '**Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment in supersession of previous notification No. FFE-B-F(6)-2/99-II dated 7.9.2001.

The limits **Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary** shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary.
1.	<b>Rupi Bhaba</b>	i) Kinnaur ii) Sarahan (Wildlife) Division	<p><b>NORTH:</b> Main Srikhand Dhar starting from Kokshane Peak 5625 mtr. passing through high points 5695 mtr., 5530 mtr., 5100 mtr., 5205 mtr., 5280mtr., 5365 mtr., 4865 mtr. 5430 mtr., 5495 upto 5567 mtr.</p> <p><b>EAST:</b> Ridge line from height point 5567 mtr. on the main Sri Khand mountain range heading South dividing first Nichar from Murang Tehsil then Kalpa Tehsil till the point on the ridge line of the Mukim Dhar upto peak 5496 mtr.</p> <p><b>SOUTH:</b> From peak 5496 mtr. along the ridge decending down to the Listrang Gad, south of Khosyan to meet the Listrang Gad at 3214 mtr. and then along the downstream till below Ratba, from where the boundary follows up the ridge of Angyar Dhar passing through points 4692 mtr. 4853 mtr. 5574 mtr. and 5349 mtr. upto 5246 mtr. Then along the ridge till beginning of the Angyar nalla just short of Mulling, down stream the</p>

			<p>Angyar nalla to Wanger khad ( Bhaba river) and then across the river to the ridge on the right side upto the point at 5176 mtr. From there along the ridge of Soling dhar to point 4645 mtr. along the ridge to 4336 mtr., 3964 mtr., then upto 3550 mtr. and then turning east along the Kandarn khad upto lower outer boundary of Saknatpa PF. From there turning West along lowere outer boundary of Saknatpa PF excluding Shilpe cultivation and further along outer boundary of Dangarang PF, Rakchang Salarang PF Tira Forest, Chhota Kamba PF, Bara Kamba PF then down to Shorang Khad upto the source of Bara Kamba kuhl. Thereafter the boundary follows the forest footpath upto Rupri FRH, excluding the cultivation of Rupri village and upto the boundary of Kinnaur and Shimla District on Sri Khand Dhar at point 3038 mtr.</p> <p><b>WEST:</b> Starting from the high point 3038 mtr. along the boundary of Shimla and Kinnaur Districts to Sri Khand Dhar via Gushu Pishu peak at 5600 mtr. upto Kokshane peak 5625 mtr.</p>
--	--	--	--

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.31°47'18"N & Long.77°57'02"E **East** Lat.31°41'42"N & Long.78°07'19"E, **South** Lat.31°34'28"N & Long.78°59'15"E **West** Lat.31°42'49"N & Long.77°45'00"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 E/13, 53 E/14, 53 I/1 and 53 I/2 on scale 1: 50,000.

Area of Rupi Bhaba Wildlife Sanctuary= 503.00 sq. km


By Order

Principal Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above  
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7<sup>th</sup> June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.

  
Under Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II रुपी भाबा तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-2/99- II तारीख 7-9-2001 द्वारा 503.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र रुपी भाबा को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदरज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य

जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-2/99-II तारीख 7-9-2001 के अधिकमण में वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 503.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से रुपी भाबा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं ।

रूपी भाबा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	रूपी भाबा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	रूपी भाबा	i) किन्नौर ii) सराहन (वन्य जीव) मण्डल	<p><b>उत्तर:-</b> श्रीखण्ड की मुख्य धार की कोकेशन चोटी 5625 मीटर से आरम्भ होती हुई ऊंचाई बिन्दू 5695 मीटर, 5530 मीटर, 5100 मीटर, 5205 मीटर, 5280 मीटर, 5365 मीटर, 4865 मीटर, 5430 मीटर और 5495 मीटर से 5567 मीटर तक ।</p> <p><b>पूर्व:-</b> धार पर ऊंचाई बिन्दू 5567 मीटर से मुख्य श्रीखण्ड धार की शृंखला से होती हुई दक्षिण में निचार को मुरंग तहसील से विभाजित करती हुई कल्पा तहसील से मुकिंम धार पर से चोटी 5496 मीटर तक ।</p> <p><b>दक्षिण:-</b> चोटी 5496 मीटर से धार पर नीचे की ओर लिसद्रंग गाढ़ में दक्षिण से खोसयान के लिस्ट्रंग गाढ़ के मिलान बिन्दू 3214 मीटर से नीचे की ओर रतबा के नीचे से सीमा अंगयार धार के साथ-साथ बिन्दू 4692 मीटर, 4853 मीटर, 5574 मीटर और 5349 मीटर से 5246 मीटर तक उसके बाद मुलिंग के नजदीक अंगयार नाले के ऊपर की धार के साथ-साथ फिर नीचे की ओर अंगयार नाले में वांगर खड (भाबा नदी) और नदी को पार करती हुई दाईं ओर की धार पर बिन्दू 5176 मीटर से सोलिंग धार के साथ-साथ बिन्दू 4645 मीटर से 4336 मीटर, 3964 मीटर से 3550 मीटर तक और पूर्व</p>

		<p>की ओर मुड़ती हुई कंडारन खड से साकनाथपा संरक्षित वन की नीचली बाहरी सीमा के साथ-साथ से पश्चिम की ओर मुड़ती हुई साकनाथपा संरक्षित वन की नीचली बाहरी सीमा के साथ शिल्पी कृषि भूमि को बाहर करते हुए और डगारंग संरक्षित वन, रक्छंग सलारंग संरक्षित वन, टिरा वन, छोटा खम्बा संरक्षित वन, बारा खम्बा संरक्षित वन की सीमा के साथ-साथ नीचे की ओर शोरंग खड से बारा खम्बा की कूल के उद्गम तक उसके बाद सीमा पैदल रास्ते के साथ-साथ वन विश्राम गृह रुपी से होती हुई रुपी गांव की कृषि योग्य भूमि को बाहर करते हुए किन्नौर और शिमला जिला की सीमा पर श्रीखण्ड धार बिन्दू 3038 तक ।</p> <p><b>पश्चिम:-</b> ऊंचाई बिन्दू 3038 मीटर से शिमला और किन्नौर जिला की सीमा के साथ-साथ श्रीखण्ड धार से होती हुई वाया गुशू पिशू चोटी 5600 मीटर से कोकशेन चोटी 5525 मीटर तक ।</p>
--	--	--

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश  $31^{\circ} 47' 18''$  उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ} 57' 02''$  पूर्व । पूर्व अक्षांश  $31^{\circ} 41' 42''$  उत्तर और देशान्तर  $78^{\circ} 07' 19''$  पूर्व । दक्षिण अक्षांश  $31^{\circ} 34' 28''$  उत्तर और देशान्तर  $78^{\circ} 59' 15''$  पूर्व और पश्चिम अक्षांश  $31^{\circ} 42' 49''$  उत्तर और देशान्तर  $77^{\circ} 45' 00''$  पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ई/13, 53ई/14, 53आई/1 और 53आई/2 (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाता है ।

**क्षेत्रफल: 503.00 वर्ग कि०मी०**

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।


पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2,

7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

  
अवर सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार ।